भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6481

(शुक्रवार, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 (शक) को दिया गया)

सीएसआर के अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं

6481. श्रीमती मीनाक्षी लेखीः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के एक भाग के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) और (ख): 'नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं' कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII की मद संख्या (iv) के अंतर्गत आती हैं जो 'पर्यावरण, पशु कल्याण, संसाधनों का संरक्षण' आदि से संबंधित है। वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 के लिए कंपनियों द्वारा अनुसूची-VII की मद संख्या (iv) के अंतर्गत किया गया अंशदान क्रमशः 901.80 करोड़ रुपये और 306.68 करोड़ रुपये था।

*****